न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ल संख्या : 17/462

राधाकिशन आत्मज स्व0 नन्दलाल जाति मीणा निवासी ग्राम चारियाखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

––अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री बी0 सी0 मालवीय, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामबाबू मालव, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 16.01.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला, कोटा के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम चारियाखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 193 रकबा 0.64 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह दौराने वाद वादगस्त आराजी से वादी को बेदखल नहीं तथा आराजी को खुर्द–बुर्द नहीं करे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत कैम्प हीरियाखेडी में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2017 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2017 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

लान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र रा कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपीलान्ट को सूचित किये बिना ही एवं अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी । उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी दिनांक 26.07.2017 को जानकारी करने पर हुई जिस पर उक्त निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहरया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण को अपीलान्ट की सहमति के बिना ही राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते हों । प्रस्तुत वाद में अधीनस्थ न्यायालय में दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम किये जाने थे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की सहमति के बिना ही उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2017 निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु प्रेतिप्रेषित किया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है क्योंकि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वाद कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहने बाबत् पेश किया है । जबकि वादग्रस्त आराजी चारागाह/सिवायचक भूमि है जो सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रखी गई भूमि होती जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण करने से उसे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुंटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2017 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलान्ट ने जिस वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत किया है वह राजस्व रिकॉर्ड में चारागाह/सिवायचक भूमि है । चारागाह भूमि जो सार्वजनिक प्रयोजनार्थ छोडी

भूमि होती है जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण कर लिये जाने से उसे किसी प्रकार के धिक अधिकार प्राप्त नही होते हैं । चारागाह की भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत संरक्षण प्राप्त है उक्त भूमि पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है क्योंकि उक्त भूमि किस्म चारागाह/सिवायचक भूमि है ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2017 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 16.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 17/462

राधाकिशन आत्मज स्व0 नन्दलाल जाति मीणा निवासी ग्राम चारियाखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश एवं डिक्री दिनांक 31.05.2017 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

अन्तर्गत वाद संख्याः 89/दावा/2013

राधाकिशन आत्मज स्व0 नन्दलाल जाति मीणा निवासी ग्राम चारियाखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा .के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2017..की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 16.01.2018 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री बी0सी0 मालवीय एवं प्रत्यर्थी रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री रामबाबू मालव के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2017 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने हैं।

यह डिक्री आज तारीख 16.01.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा